


C.A.S. Chakray (Sarda Bazar)

2. यह कि हमारे सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम _____ एका पार पर भूमि खिल नं. 15/19
 वि.वा. संख्या 1/5/19 ए.ए. संख्या 1/2/19 स्व. संख्या 1/2/19
 जिला _____ जिला जमा 1/2/19 क्षेत्रफल 1/2/19 गुने है।



यदि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी चट किसी भी न्यायालय में नहीं
 है, और भूमि विवाद नहीं है।

3. यह कि उपरोक्त भूमि पर संचालित के नाम संचालित भूमि के माता संख्या 1/5/19
 ए.ए. संख्या 1/2/19 स्व. संख्या 1/2/19
 जिला जमा 1/2/19 क्षेत्रफल 1/2/19 गुने उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन सार्वजनिक
 संस्थान की स्थापना किये जाने का उद्देश्य सोसाइटी/ट्रस्ट की ईच्छा विना 1/2/19
 प्राप्त किया गया है।

4. यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रस्तावित डिप्लोमा करने की संस्थान के संकलन हेतु भवनों
 का निर्माण अनुमोदित नहीं हो अनुसार किया गया है।

5. यह कि निवेशक समिति के समस्त सदस्यों को यह सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम भूमि ए.ए.
 जमा पर निर्मित एवं निर्वाह करने की ही निवेशक समिति के समस्त निवेशक हेतु
 प्रस्ताव किया गया है।

6. यह कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर सार्वजनिक और प्रसिद्धता नहीं
 मिलती, जो निषेधों के अंतर्गत ही डिप्लोमा सार्वजनिक संस्थान का ही संकलन किया
 जाएगा।

8. यह कि, इस संस्था में पारमर्सी कालिगल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं भाषितिक रिहा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रविष्टान प्रदान किया जायेगा।

9. यह कि, उपरोक्त नृनि 8 कृत पर निर्मित भवनों में पारमर्सी कालिगल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं भाषितिक रिहा परिषद, एगल राज्यनक से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्था/विद्यालय/सर्वविद्यालय/आईआईआईटी आदि का संभालन न ही पूर्व में कर्मा किया गया हे और न ही भविष्य में कर्मा किया जायेगा।

10. यह कि, संस्थान के संभालन हेतु आवश्यक प्लास रुम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को पारमर्सी कालिगल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं भाषितिक रिहा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।

11. यह कि, संस्था के संभालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक रदान की सैन्गी सेवाओं को राष्ट्रीय परिषद द्वारा सत प्रावन से पूर्व कर लिया जायेगा।

12. यह कि, संस्था/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का कर्मापालन करेगा। यदि संस्थान में किसी भी समय स्थानीय निर्देशन में मानकनुसार कोई भी कर्मा गलत जाती हे तो परिषद की निर्देशन एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्देश अतिम होना एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई शिक्षिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।

13. मैं घोषणा करता/करती हू कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अधिलेख/व्यक्तित्व पारमर्सी, सुसज्जित अथवा सुसज्जित नये जाने हे तो मेरे शिक्षक परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी शिक्षिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊंगा।

50 सविध
सामयिक एवं पारमर्सी रिहा समिति
साम संस्था ऑफिस (संस्था)

डॉ. अरवि
संस्था

संस्था/परिषद द्वारा
कानून/अधिलेख/व्यक्तित्व
संस्था/परिषद द्वारा
कानून/अधिलेख/व्यक्तित्व
संस्था/परिषद द्वारा
कानून/अधिलेख/व्यक्तित्व